आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–BRRDA(HQ)-PMGSY-842/2019 - 815 /पटना, दिनांक– 13/05/2020

प्रेषक,

संजय दूबे, भा०प्र०से०
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत किशनगंज जिला के Thakurganj प्रखंड में **Patharia Dhopodangi PMGSY Path-Lahugaon (Package No. BR 17WB9)** लम्बाई **2.50** कि०मी० तथा राशि रू0 1494.27 **लाख (चौदह करोड़ चौरानबे लाख सत्ताईस हजार रूपये)** मात्र है, पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में केन्द्रीय एजेंसी NBCC को विषयांकित पथ स्वीकृत किया गया था। केन्द्रीय एजेंसीयों द्वारा अपूर्ण छोड़े गये कार्यों को बिहार सरकार, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या– मु0अ0–4–PMGSYबैठक–49/04 खंड–II–485 अनु0/पटना, दिनांक–20.02.2019 के द्वारा यथास्थिति प्रभार वापस लेने का निर्णय लिया गया है। विभागीय पत्रांक–मु0अ0–4–PMGSY बैठक–49/04 खंड–II–487 अनु0/पटना, दिनांक–20.02.2019 के द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता पथों की यथास्थिति में विडियोग्राफी कराते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देश एवं विशिष्टियों के अनुरूप आवश्यकतानुसार अवशेष कार्यों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने का निदेश दिया गया है। तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 के द्वारा समर्पित प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता–2 के द्वारा 2.50 कि0मी0 लम्बाई के लिये अवशेष निर्माण कार्य एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित कुल रू0 1494.27 **लाख (चौदह करोड़ चौरानबे लाख सत्ताईस हजार रूपये)** पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान किये जाने के आलोक में वर्णित योजना पर निम्न शर्तों के साथ प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

2. (क) योजना के लिए कार्यपालक अभियंता से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायगी और उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जायगा।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओं का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप हो।

3. योजना का कार्यान्वयन मानक निविदा अभिलेख परre-tenderingपद्धति के माध्यम से कराया जायेगा।

4. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

5. यह एक केन्द्रीय योजना है जिसमें पथ निर्माण के लियेPro-rataके आधार पर स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली Excess राशि का वहन विभाग के योजना बजट शीर्ष–4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त हाने वाली राशि से भारित किया जाएगा।

6. पथ (पुल सहित) निर्माण के लिये राशि रू0 1464.59 लाख (निर्माण कार्य हेतु) है। अतः इस पथ के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (MoRD) द्वारा केन्द्रीय एजेंसी NBCC को स्वीकृत राशि में से MoRD द्वारा अनुमान्य अवशेष राशि का 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाना है। निर्माणोपरान्त पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 29.68 लाख है जो बिहार राज्य के गैर योजना बजट शीर्ष 3054 से प्राप्त होने वाले राशि से भारित होगी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुरक्षण मद अन्तर्गत विभाग का रू0 900 करोड़ का बजट निर्धारित है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में PMGSY योजनान्तर्गत प्रोग्राम फंड के केन्द्रांश मद के लिए रू0 5086.00 करोड़ एवं राज्यांश मद के लिए रू0 333.00 करोड़ का बजट निर्धारित है।

8
13/5/2020

कुल रू0 3072.41 करोड़ वर्तमान में उपलब्ध है, का प्रयोग योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के कारण उत्पन्न दायित्व के व्यय के लिए किया जायेगा।

7. ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

8. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि निर्माण/अनुरक्षणकार्यों को विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन करते हुए कार्य के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या एम0–4–53/2007–3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

10. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

11. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

13. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पॉच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

14. विभागीय संकल्प संख्या–4168, दिनांक–22.06.2009 की कंडिका 05 (e) यथा प्रावधान अतिरिक्त व्यय के राज्य योजनामद 4515 में विभाग को स्वीकृत उद्व्यय एवं आवंटन से वहन किया जाना है।

15. इस योजना के स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार से संचिका संख्या BRRDA(HQ)-PMGSY- 842/2019 के पृ0–7/टि0 पर दिनांक–12.5.2020 को प्राप्त है।

16. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 4–45/94–301वि (2), दिनांक 31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090वि (2), दिनांक 15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम–4–53/2007–2199/वि0, दिनांक–24.03.2017, के प्रावधानों एवं वित्त नियामावली, खण्ड–1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या–मु०अ०–4–PMGSY-5-17/09-4168,दिनांक– 22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)–PMGSY–842/2019 के पृ0–7/टि0 पर दिनांक–13.5.2020 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

8 13/5/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक :BRRDA(HQ)-PMGSY-842/2019 815 /पटना, दिनांक– 13/05/2020

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8 13/5/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :BRRDA(HQ)-PMGSY-842/2019 815 /पटना, दिनांक– 13/05/2020

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा0 का० वि०, बिहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा0), ग्रा0 का0 वि0/संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/ कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8 13/5/2020.

अपर सचिव